e-1107566/ccsr 24/11/2020 1485/ACTT/Policy 24-11-2020

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

No.F3(61)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 165 **Dated:** 19/11/2020

Notification No. 67/2020- State Tax

No. F.3(61)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS-IV/ : In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance, Revenue-I, No. 73/2017– State Tax, dated the 30th January, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(80)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated the 30th January, 2018, namely :–

In the said notification: -

After the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

–Provided also that late fee payable under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil, for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-4** for the quarters from July, 2017 to March, 2019 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd day of September, 2020 to 31st day of October, 2020.

2. This notification shall come into force from the 21st September, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(61)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS- IV / 165 **Dated:** 19/11/2020

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.

5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Website.
11. Guard File.

(Manoj Kumar)
Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal notification No. 73/2017- State Tax, dated the 30th January, 2018 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(80)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated the 30th January, 2018 and was last amended *vide* notification number 77/2018 – State Tax, dated the 3rd September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(37)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/401, **dated the 3rd** September, 2019.

(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त(राजस्व –I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली –110002

सं.फा. 3 (61)/वित्त (राजस्व– I)/2020–21/डीएस–IV/165 दिनांकः 19/11/2020.

अधिसूचना संख्या– 67/2020–राज्य कर

सं.फा. 3(61)/वित्त (राजस्व– I)/2020–21/डीएस–IV – दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व–I) की अधिसूचना संख्या 73/2017–राज्य कर, दिनांक 30 जनवरी, 2018, जिसे सं.फा. 3(80)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI–57, दिनांक 30 जनवरी, 2018, के तहत, दिल्ली के राजपत्र, आसाधारण, के भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना मेंः–

दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि जुलाई, 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाहियों से संबंधित प्ररूप जीएसटीआर–4 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाये थे, लेकिन उक्त विवरणी को समयावधि सितंबर, 2020 के 22वें दिन से अक्टूबर, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंब फीस को दो सौ पचास रूपये से अधिक अधित्यजन किया जाता है, और उन करदाताओं के लिए देय विलंब फीस को पूर्ण रूप से अधित्यजन किया जाता है जिनके लिए कुल देय राज्य कर की राशि शून्य है ।"

2. यह अधिसूचना 21 सितंबर, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मनोज कुमार)
उप सचिव–IV (वित्त)

सं.फा. 3 (61)/वित्त (राजस्व– I)/2020–21/डीएस–IV/165 दिनांकः 19/11/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,

नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. वेब साईट।
11. गार्ड फाइल।

(मनोज कुमार)
उप सचिव–IV (वित्त)

नोटः– प्रधान अधिसूचना संख्या 73/2017–राज्य कर, दिनांक 30 जनवरी, 2018, जिसे सं.फा. 3(80)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI–57, दिनांक 30 जनवरी, 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र, आसाधारण, भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 77/2018– राज्य कर, दिनांक 3 सितंबर, 2019, जिसे सं.फा. 3(37)/वित्त(राजस्व–I)/2019–20/डीएस–IV/401, दिनांक 3 सितंबर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, आसाधारण, भाग–IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।